HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6316/2026

Sahib Singh S/o Mukhtyar Singh, R/o Hindava, Police Station Jeera, District Firojpur (Punjab) Presently Rented House, Sata Muneems Rented House, Gali No. 3 Cheema Road, Kot Isekhan, Police Station Kot Isekhan District Moga (Punjab) (Presently Confined In Ramganjmandi, District Kota)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Kumar Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– मोरक, जिला– कोटा ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 205/2012 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा 420, 467, 468, 279 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में लावारिस वाहन संख्या एचआर 37 सी 2830 से मादक पदार्थ डोडा चूरा कुल 5540 किलोग्राम बरामद हुआ है और इस संदर्भ में मुख्य अभियुक्त दर्शन कुमार, जिसको कि तथाकथित रूप से उक्त वाहन का स्वामित्वधारी बताया गया है, उसकी जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह तथ्य

अभिलेख पर है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त माल सप्लाई किया है तथा इस संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में लावारिस वाहन संख्या एचआर 37 सी 2830 से मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद होना पाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर प्रकरण में संबद्ध किया गया है तथा अन्य सहअभियुक्त की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **साहिब सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 66